

ORDER SHEET

THE COURT

II-155
C.J.(E)

Of 20

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
<p>25/12</p> <p>11/12</p>	<p>आवेदक सहित श्री एस.एस. तोमर अधिवक्ता ने उपस्थित होकर एक आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 151 जा.दी. का पेश कर इस न्यायाल के प्र.क्र.-19/15 क्लेम अशोक सिंह - राजू आदि खा.दि.- 12-11-16 के पालन में जमा शुदा अवार्ड राशि के भुगतान कराये जाने वावत् मय में पेश किया।</p> <p>आवेदनपत्र की प्रति नायब नाजिर गोहद की ओर भेजकर जमा शुदा अवार्ड राशि के संबंध में प्रतिवेदन तलब हो।</p> <p>प्रकरण विधिवत एम.जे.सी. पंजी में पंजीबद्ध हो।</p> <p>मूल अभिलेख तलब हो।</p> <p>प्रकरण प्रतिवेदन/अभिलेख हेतु दिनांक 11-02-17 को पेश हो।</p> <p>पी. सी. भावे सदस्य हि. मोटर दुर्घटना बाबू प्राधिकरण गोहद जिला-भिण्ड (म.प्र.)</p> <p>आवेदिका बाबू मिह सहित श्री एस.एस. तोमर अधिवक्ता उपस्थित।</p> <p>प्रकरण प्रतिवेदन की प्राप्ति हेतु निगत है।</p> <p>नायब नाजिर गोहद से प्रतिवेदन प्राप्त मूल अभिलेख प्राप्त हो चुका है।</p> <p>बीमा कंपनी अधिवक्ता श्री के.पी. सहैर उपस्थित। अवार्ड राशि आवेदनपत्र पर उभयपक्ष को सुना गया।</p> <p>मूल अभिलेख का अवलोकन किया अवार्ड राशि के जमा होने के संबंध में नाजिर रिपोर्ट का अवलोकन किया।</p> <p>11/12</p>	<p>11/12</p>

(P.T.O)

25/11/18
20/12/18
20/12/18

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Pleader necessary
	<p>आवेदन पर विचार किया गया। प्रत्यक्ष में आवेदन को शक्तिपूर्ति हेतु आदि. 12-11-18 के पालन में बीमा कम्पनी द्वारा 600000/- (छि लाख) रुपये जरिये चैक जमा किया गया। जो इस न्यायालय के चैक जमा पंजी क्र-21/18 दिनांक 17-12-18 के 600000/- (छि लाख) रुपये से नज़रत अनुभाग गोदर भेजा गया जो नज़रत अनुभाग के पंजीयन क्रमांक 20/18 दिनांक 20-12-18 पर जमा होकर रोक है।</p> <p>मूल अभिलेखा के मवलोकन से दर्शित होता है कि उक्त प्रकरण मासिक नेशनल लोक अदालत में इसी न्यायालय में निसफूत प्रकरण दिनांक 12-11-18 को हुआ। आदेश दिनांक 12-11-18 का मवलोकन किया जिसमें राजीनामा के आधार पर अपाई पारित करने हुए राशि 600000/- (छि लाख) रुपये आवेदनकर्ता को बीमा कम्पनी द्वारा दो माह के भीतर अदा किये जाने का आदेश दिया गया है। जिसमें से आवेदक 01 लगातार 03 जो कि सृष्टिका के पति व पुत्र है। उनके प्रत्येक के नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक में 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) रुपये की राशि 03 माह की सावधी जमा खाते (एफ.डी.आर.) के माध्यम से प्रदान की जाये तथा 25000/25000 (पच्चीस-पच्चीस हजार) रुपये उन्हें नगर रूप से बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किए जाए, तथा आवेदक क्र- 4 व 5 के बुद्धवस्था को देखते हुए आवेदिका क्र-4 को 50,000/- (पचास हजार) रुपये व आवेदक क्र-5 को रोक 25000/- (पच्चीस हजार) रुपये राष्ट्रीयकृत बैंक खाते के माध्यम से नगर भुगतान किये जाने का आदेश है।</p> <p>चूंकि आवेदिका बाबू सिंह द्वारा अपनी जमा मुदा राशि के संबंध में पृथक से अपाई राशि प्राप्त किये जाने आवेदनमत्र पेश किया है जो सृष्टिका का ससुर है। उक्त आदेश के पालन में आवेदिका बाबू सिंह पुत्र वटुरी सिंह निवासी गोदर चौराहा तहसील गोदर जिला भिण्ड मप्र. को 25000/- (पच्चीस हजार) रुपये राष्ट्रीयकृत बैंक खाते के माध्यम से नगर भुगतान किये जाने का आदेश है। आदेशानुसार पक्षकार के उपस्थित होने पर रिफण्ड बातेचर तैयार कर नायब नाजिर गोदर की ओर कार्यवाही देवी भेजा जाये।</p> <p>लोक अदालत के डॉकेंट तैयार हो।</p> <p>प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर अभिलेखागार भिण्ड भेजा जाये।</p>	<p>25/11/18 क्र 20/12-18</p> <p>बाबू सिंह</p> <p>ज. अ. अ. अ.</p> <p>25/11/18</p> <p>पी. सी. आरि सदस्य</p> <p>दि. मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण गोदर जिला-भिण्ड (मप्र.)</p> <p>25/11/18</p> <p>20/12/18</p> <p>20/12/18</p>